

प्रेषक,

वी०हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ; दिनांक : 10 अप्रैल, 2020

विषय:-कोविड-19 से बचाव एवं उसके रोकथाम में आयुष विभाग के प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों एवं पैरा मेडिकल कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुष विभाग के पत्र संख्या-1334/96-आयुष-1-2020 दिनांक 08.04.2020 की (छायाप्रति संलग्नक) सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से ऑन लाइन प्रशिक्षण के माध्यम से सभी 75 जनपदों तथा 19 आयुष महाविद्यालयों में नामित मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है जिनकी सूची संलग्न है।

2- कृपया कोराना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु उक्त प्रशिक्षण प्राप्त नामित मास्टर ट्रेनर्स तथा आयुष महाविद्यालयों में आयुष चिकित्सकों का सहयोग लिए जाने हेतु जनपद स्तर पर आयुष विभाग से समन्वय कर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,


(वी० हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या-832(1)/पांच-5-2020 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

प्रेषक,

वी०हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ; दिनांक : अप्रैल, 2020

विषय:-कोविड-19 से बचाव एवं उसके रोकथाम में आयुष विभाग के प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों एवं पैरा मेडिकल कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुष विभाग के पत्र संख्या-1334/96-आयुष-1-2020 दिनांक 08.04.2020 की (छायाप्रति संलग्नक) सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से ऑन लाइन प्रशिक्षण के माध्यम से सभी 75 जनपदों तथा 19 आयुष महाविद्यालयों में नामित मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है जिनकी सूची संलग्न है।

2- कृपया कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु उक्त प्रशिक्षण प्राप्त नामित मास्टर ट्रेनर्स तथा आयुष महाविद्यालयों में आयुष चिकित्सकों का सहयोग लिए जाने हेतु जनपद स्तर पर आयुष विभाग से समन्वय कर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(वी० हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या-832(1)/पांच-5-2020 , तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।